

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी 3/1, राजमहल रेजिडेंस प्लॉट, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)()राछा/सान्याअवि/20/ 3777-830

जयपुर, दिनांक 05/01/2021

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 3237 दिनांक 26.11.2020 के द्वारा राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड विद्यालय स्तरीय छात्रावासों एवं महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 निर्धारित की गई थी।

राजकीय/अनुदानित/पीपीपी मोड के विद्यालय स्तरीय एवं राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र कम प्राप्त होने के कारण से अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 निर्धारित की जाती है।

इसी प्रकार प्रवेश की वरीयता सूची जारी करने की तिथियां भी निम्नानुसार नियत की जाती है:-

वरीयता सूची	प्रस्तावित नियत दिनांक
तेरहवीं सूची	31 दिसम्बर 2020
चौदहवीं सूची	15 जनवरी 2021
पन्द्रहवीं सूची	31 जनवरी 2021

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ7 1(2)()राछा/सान्याअवि/20/ 3777-830 जयपुर, दिनांक 05/01/2021

प्रतिलिपि :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- जिला कलक्टर (समस्त)
- निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
- सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करवाने हेतु।
- उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
- उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
- सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
- आदेश पत्रावली।

(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)